कार्यालय–जिला कार्यक्रम अधिकारी,फतेहपुर।

पत्रांक-C-2606 /जि0का0अधि0/चयन विज्ञप्ति/2025–26 दिनांक 31-1-2026

" विज्ञप्ति "

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद फतेहपुर के शहरी/ग्रामीण परियोजनाओ में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रो में रिक्त **आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पदों** को भरे जाने हेतु मानदेय/संविदा पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की जानी है, जिसके लिए आवेदिकाए (महिला) अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट http://upaganwadibharti.in पर आवेदन पत्र आमत्रिंत किये जाते है। रिक्त पदो का विवरण विकास खण्ड/ परियोजनावार निम्नवत् है :–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकत्री के कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण				
		कुल रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7
1	अमौली	01	00	00	00	01
2	खजुहा	01	00	00	00	01
3	हसवां	01	00	00	00	01
4	देवमई	00	00	00	00	00
5	मलवॉ	04	02	00	01	01
6	तेलियानी	04	01	00	00	03
7	बहुआ	00	00	00	00	00
8	भिटौरा	00	00	00	00	00
9	असोथर	03	01	00	00	02
10	विजयीपुर	02	01	00	01	00
11	शहर	00	00	00	00	00
12	हथगाम	01	00	00	00	01
13	ऐरायॉ	06	01	00	00	05
14	धाता	02	01	00	01	00
	योग	25	07	00	03	15

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देशः–

1– विज्ञप्ति में प्रकाशित पदो हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।

2– आंगनवाड़ी कार्यकत्रीके पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी, अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।

3– आंगनवाड़ी कार्यकत्रीपद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 01.01.2026 को आधार मानकर की जायेगी तथा आयु के संबंध में हाईस्कूल का अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।

4–आंगनवाड़ी कार्यकत्रीके चयन में सर्व प्रथम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा/विधिक तलाकशुदा एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला को वरीयता दी जाएगी।

5– गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अभ्यर्थियो के न मिलने पर क्रमानुसार गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली आवेदिका का चयन किया जायेगा।

6– आवेदिका को उसी ग्रामसभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) का निवासी होना अनिवार्य है, जहॉ के लिये वह आवेदन कर रही है। यदि उसी ग्रामसभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

7– आय प्रमाण पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3958/1–9–11–रा0–9 दिनांक 30.09.2011(यथा संशोधित)के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभवहो।

8–निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगें, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभवहो।

9– आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट http://upaganwadibharti.in पद उपलब्ध फार्मेट परऑनलाइन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी। जिसका उल्लेखउनके द्वारा ऑनलाइन फार्म पर किया गया हो किसी भी दशा में ऑफलाइन कोई भीप्रपत्र स्वीकार नही किये जायेगे तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।

10– ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21.02.2026 होगी।

11– रिक्त पदो के विवरण के संबंध मे केन्द्रवार संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालयसे प्राप्त की जा सकती है।

12– रिक्त पदो का विस्तृत विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी/संबंधित खण्ड विकासअधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, जिसका विवरण विभागीय वेबसाइट http://upaganwadibharti.in पर भी देखा जा सकता है।

नोटः– रिक्तियो के संबंध में यदि कोई त्रुटि होगी तो चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णयमान्य होगा।

(दीप्ति त्रिपाठी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
फतेहपुर

पृष्ठांकित सं0–   /तद्नुसार

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0,लखनऊ।
2– जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर।
3–मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष चयन समिति जनपद फतेहपुर।
4– समस्त सम्मानित सदस्य चयन समिति।
5– जिला सूचना अधिकारी,फतेहपुर को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को दैनिक पढे जाने वाले राज्य स्तरीय/एक स्थानीय समाचार पत्र के आगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6–समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि रिक्तियो का विवरण विभिन्न कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
7– कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
फतेहपुर